भारत के परिप्रेक्ष्य में महिला शिक्षा : एक अध्ययन

[*]पंक्षी देवी एवं [**]डॉ0 नीति त्रिवेदी

[*]शोधार्थी शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

[**]असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

सारांश

मानव एक स्वतंत्र प्रकृति का सामाजिक प्राणी है। जिसको अपने सम्पूर्ण विकास, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने तथा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शिक्षा संस्कार एवं अधिकारों की आवश्यकता होती है। शिक्षा से मनुष्य के व्यक्तित्व को सही पथ को समझने की प्रबलता प्रदान होती है। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के उत्थान के बिना कोई राष्ट्र या देश उन्नति नहीं कर सकता। महिला शिक्षा इसी विकास क्रम की एक सीढी है, जिसके माध्यम से एक महिला अबला से सबला तक का सफर तय करती है। समाज के जागरूक वर्ग का यह दायित्व है कि महिलाओं को शिक्षित एवं संस्कारित कर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजक बनाए। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने के लिए समय–समय पर शिक्षा आयोग द्वारा एक दिशा प्रदान की गयी। केन्द्रीय सरकार ने समय–समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों का क्रियान्वयन किया है। जिनमें महिला शिक्षा के विकास हेतु अनेक अभिषंसाएँ दी गयी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित विभिन्न शिक्षा आयोग व समितियों ने भी भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिऐ जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। बदलते सामाजिक, आर्थिक परिवेश में महिला शिक्षा के प्रति सभी का रुझान व साक्षरता का प्रतिशतांक बढ़ा है। किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव होगा, जब उसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो। भारतीय समाज में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है। देश की आधी आबादी को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाए बगैर हम देश की समृद्धि, सामाजिक संरचना एवं सर्वांगीण विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रपत्र का उद्देश्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में महिला शिक्षा के विकास को उजागर करना है।

संकेत शब्द *– महिला शिक्षा, शिक्षा का महत्व, शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा समितियाँ, शिक्षा आयोग व सरकारी योजनाएँ।*

प्रस्तावना :–

समाज में सर्वांगीण सुमुन्नयन का महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है। शिक्षा ही वह धन है जिसे बिना भय हानि के सुरक्षित रखा जा सकता है। 'मृत्योर्माअमृतगमया' का लक्ष्य शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा आमोध शक्ति है जो व्यक्ति को उसके अधिकार कर्तव्य का ज्ञान कराती है। उसकी आन्तरिक व बाहरी शक्तियों का विकास करती है। बुद्धि को पारिष्कृत व पारिमार्जित करती है। यह मानव को स्वालम्बी बनाती है। समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक़ दृष्टिकोण व समाधान की क्षमता विकसित करती है तथा परम्पराओं व रूढियों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करती है। शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, संस्कृति और अधिक संस्कारयुक्त होता है। विज्ञान की प्रगति होती है तथा अलौकिक ज्ञान चहुँमुखी होकर मानव जाति का उत्तरोत्तर उत्थान हेतु मार्ग प्रशस्त करती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर सूर्यमुखी का पुष्प खिल जाता है। उसी प्रकार शिक्षा रूपी प्रकाश को पाकर मानव जीवन रूपी कमल पुष्प के समान खिल जाता है। शिक्षा कल्पतरू के समान समस्त मनोरथों को सिद्व करती है। **ज्ञानं मनुजस्य तृतीय नेंत्रम्**। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है, जो मनुष्य के समस्त तत्वों के समझने की क्षमता प्रदान करता है।

शिक्षा के महत्व पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि समाज में सभी का शिक्षित होना अनिवार्य है, विशेषकर महिलाओं का शिक्षित होना। महिलाएँ मानव जाति का लगभग आधा हिस्सा मानी जाती है। उन्हें ''आधी दुनियाँ ''की संज्ञा दी गयी है।

भारत में महिला शिक्षा– प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़ियाँ कहा जाता था। भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति साहित्य और शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय स्त्रियों की समाज में बहुत अच्छी स्थिति थी। स्त्रियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था होती थी तथा समाज के विकास और राष्ट्र के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका हुआ करती थी।

वैदिक काल में महिला शिक्षा– प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वैदिक काल में अनेक विदुषी महिलाओं के वृतान्त मिलते हैं जैसे– गार्गी, आत्रेयी, शकुन्तला, विश्वघोषा, अपाला जैसी विदुषी नारियाँ थी, जो वेद अध्ययन के साथ–साथ पुरुषों के साथ वाद–विवाद में हिस्सा लेती थी। कुछ विदुषी महिलाओं ने वेदों के मंत्रों की रचयिता भी है, जिसमें लोमषा, लोपमुद्रा, विश्वास, सिकता, विवस्वान, पुत्री यमी, पुलोमपुत्री शची, इन्द्राणी घोषा, अपाला आदि प्रमुख है। अथर्ववेद के एक मंत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात ही कन्या युवा पति को प्राप्त करती है।

मुस्लिम काल में महिला शिक्षा– पर्दा प्रथा के कारण महिलाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई थी। अतः राजघरानों और अमीर बालिकाओं के लिए घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी। सामान्य वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं था। छोटी बालिकाएँ मस्जिदों में संलग्न मकतब में जाकर पढ़ना लिखना सीख लेती थी। राजघराने और अमीरों की बालिकाओं की शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया। इस युग में भी अनेक विदुषी बालिकाएँ हुई जैसे– नूरजहाँ, रजिया सुल्तान, जेबुन्निसा, मुमताज महल, जहाँ आरा आदि, राज परिवारों की विदुषी महिलाएँ थी। इसके अतिरिक्त इस युग की विदुषी महिलाओं में मीराबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई का नाम महिला शिक्षा जगत में उल्लेखनीय है।

ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा– ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसका प्रमुख कारण था कि कम्पनी को अपने राजकीय कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में महिलाओं की शिक्षा के लिए आन्दोलन प्रारम्भ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को है। सन 1851 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट मिशनरियों द्वारा महिला विद्यालय खोले गए। कुछ सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों ने भी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करके बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जैसे– बंगाल की शिक्षा परिषद् के प्रधान जे.ई.डी बेथ्यून द्वारा स्थापित ''**बेथ्यून बालिका विद्यालय''** श्रीमती एनीवेसेंट द्वारा बनारस में स्थापित ''सेंट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय'' दिल्ली में ''लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज'' इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हैं। **शिक्षा का अधिकार कानून (1910)** गोखले ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा फार्मूला वर्ष (1910) में प्राथमिक शिक्षा विल के रूप में रखा था। उस गोखले ने इसके पक्ष में ढेरों तर्क थे लेकिन फिर भी यह शिक्षा का अधिकार देश की जनता के सामने न आ सका। इस प्रयास को अन्ततः सफलता मिली और गोखले ने शिक्षा के अधिकार की नींव रखी। **भारत में बालिका शिक्षा** का पहला गम्भीर प्रयास 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। भारत में यह नव जागरण का काल था। महिलाओं के हित और अधिकारों से जुड़े आन्दोलन की शुरुआत समाजसुधारको द्वारा की गई जो यह मानते थे कि महिलाओं की स्थिति दयनीय है। उनका सामाजिक उत्थान जरूरी है, समाज सुधारको द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों के

फलस्वरूप कई सदियों से चली आ रही कुरीतियों से महिलाओं को मुक्ति मिल सकी। 20वीं सदी में बालिका मुक्त पर चिन्ता जताई परन्तु स्वाधीनता आन्दोलन की तीव्रता के कारण यह चिन्ता कोई आकार नहीं ले सकी।

स्वतंत्रता के पश्चात महिला शिक्षा'– संविधान एवं वैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिलाओं के हितों और उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली परन्तु सामाजिक ढाँचे में महिलाओं की स्थिति जस की तस बनी रही। महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रदान किये गये अधिकारो लिए परिपक्व सोच नहीं विकसित हो पायी। संवैधानिक प्रावधानों ने दीवार में एक खिड़की का काम किया। जिससे महिलाओं को बाहर झाँकने का अवसर प्राप्त हुआ। **संविधान के अनुच्छेद** 14 में व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यह माना गया है कि महिलाओं के विकास उत्थान के लिए उनका पढ़ना, लिखना व शिक्षित होना अति आवश्यक है।

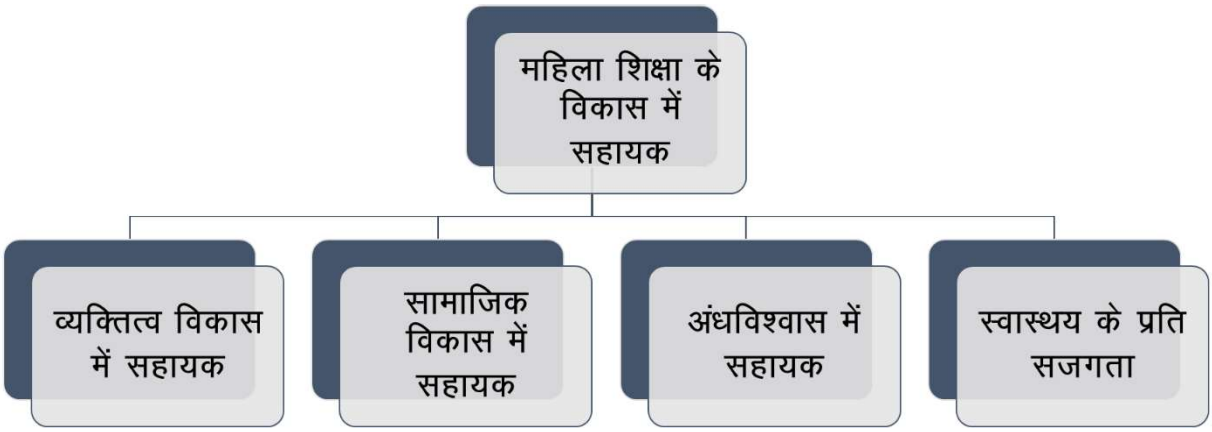
पण्डित मदन मोहन मालवीय ने कहा है ''माँ बालक की प्रथम शिक्षिका है। जिस प्रकार की शिक्षा वह बालक को देती है, वह बालक के संस्कार के रूप में जीवन पर्यन्त स्थिर रहती है। '' अतः उच्च कोटि के राष्ट्रीय विचार धारा वाले नागरिक विकसित करने के लिए महिला शिक्षा नितान्त आवश्यक है।''

जोसेफ स्पार्टडल ने ''महिला शिक्षा को किसी भी देश का सर्वोत्तम निवेश कहा है।'' भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादन एवं महिला शिक्षा में एक स्वभाविक सम्बन्ध बताते हुए महिला शिक्षा के विकास को प्राथमिकता दी है।

किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए वहाँ की महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यह एक तरह से उस दवाई की भाँति है जो मरीज को ठीक होने में मदद करती है और उसे फिर से सेहत मंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत को आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से विकसित बनाने में। शिक्षित महिला इस तरह का औजार है जो भारतीय समाज पर और अपने परिवार पर अपने हुनर तथा ज्ञान से सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के पीछे शिक्षित महिला का अमूल्य योगदान होता है। पौराणिक काल से भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा का उचित प्रबन्ध था परन्तु मध्ययुग आते–आते महिलाओं पर कई तरह की पाबन्दियाँ लगा दी गई थी। हालाँकि अगर हम आज की बात करें तो महिलाओं की शिक्षा को लेकर हम बहुत जागरूक हो चुके हैं और यह अच्छी तरह समझते हैं कि महिलाओं के शिक्षित हुए बिना देश और समाज का विकास नहीं हो सकता है। यह सत्य है कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर ही देश को हर क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित कर सकते हैं। महिलाओं की शिक्षा समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा ही परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति में साधन के रूप में असमानताओं और कार्य में कमी लाती हैं। सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने के लिए, पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, विशेष रूप से राज्य की महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।

महिलाओं को भी पुरुषों की तरह शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों में बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की कार्यवाही से दूर रखना क्रूरता के समान है। हमारे देश की आँधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएँ करती हैं, अगर महिलाएँ अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब है कि हमारे देश का विकास भी अधूरा है, जो देश को पिछड़ेपन की ओर ले जाएगा। महिलाओं के शिक्षित होने से समाज और देश में विकास भी तेजी से हो पाएगा। महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व को व्यापक स्तर कदम उठाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अशिक्षा के दुष्प्रभाव से अनेक समस्याओं के रूप में परिलक्षित होते है। जिन्हें शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है। जो अग्रलिखित प्रकार से है–



स्वामी दयानन्द जी ने जोरदार शब्दों में कहा था कि ''राष्ट्र, समाज, प्रशासन तथा परिवार के क्रिया–कलाप तब तक उचित ढंग से नही किए जा सकते, जब तक स्त्रियों को शिक्षा न मिले।''

पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि ''लडकों की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, किन्तु एक लडकी की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है।''

राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार ''मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ।''

फोरेबल के अनुसार ''माताएँ आर्दश अध्यापिकाएँ हैं।''

महिला शिक्षा का महत्व–

महिला शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि देश की खुशहाली में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके, किसी अप्रिय स्थिति में अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जिससे वे किसी पर बोझ न बन सकें। किसी भी समाज की खुशहाली का आधार उस समाज की महिलाओं के स्तर व प्राप्त सम्मान से आँका जाता है। इतिहास साक्षी है कि जिन समाजों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त है वे विकास की दौड़ में अपने समकालीनों से आगे रहे हैं। सशक्त महिला समाज की आधारशिला है, महिला सृष्टि का उत्सव है, ब्रह्मविद्या है, शक्ति है, अन्नपूर्णा है, कामधेनु है, रिद्धि–सिद्धि है, एक सनातन शाक्ति हैं। वह आदि काल से ही सामाजिक उत्तरदायित्वों को अपने कन्धों पर उठाये चली आ रही है। जिन्हें यदि पुरूषों के कन्धों पर डाल दिया जाए तो शायद वह लडखड़ा जाए। महिलाएँ हर क्षेत्र में कार्यक्षमता की दृष्टि से पुरूषों से कमजोर नहीं है। वे राष्ट्र की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकती हैं परन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज या राष्ट्र उन्हें किस प्रकार का स्थान देता है। यदि उन्हें बन्धनों में रखा जाता है तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पायेगा। रचना की दृष्टि से भले ही वह कमजोर मानी जाती है परन्तु आत्मिक शक्ति उनमें पुरुषों से ज्यादा होती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में नवीन चेतना जाग्रत होती है। जिससे महिलाओं में निम्नलिखित का विकास होता है।

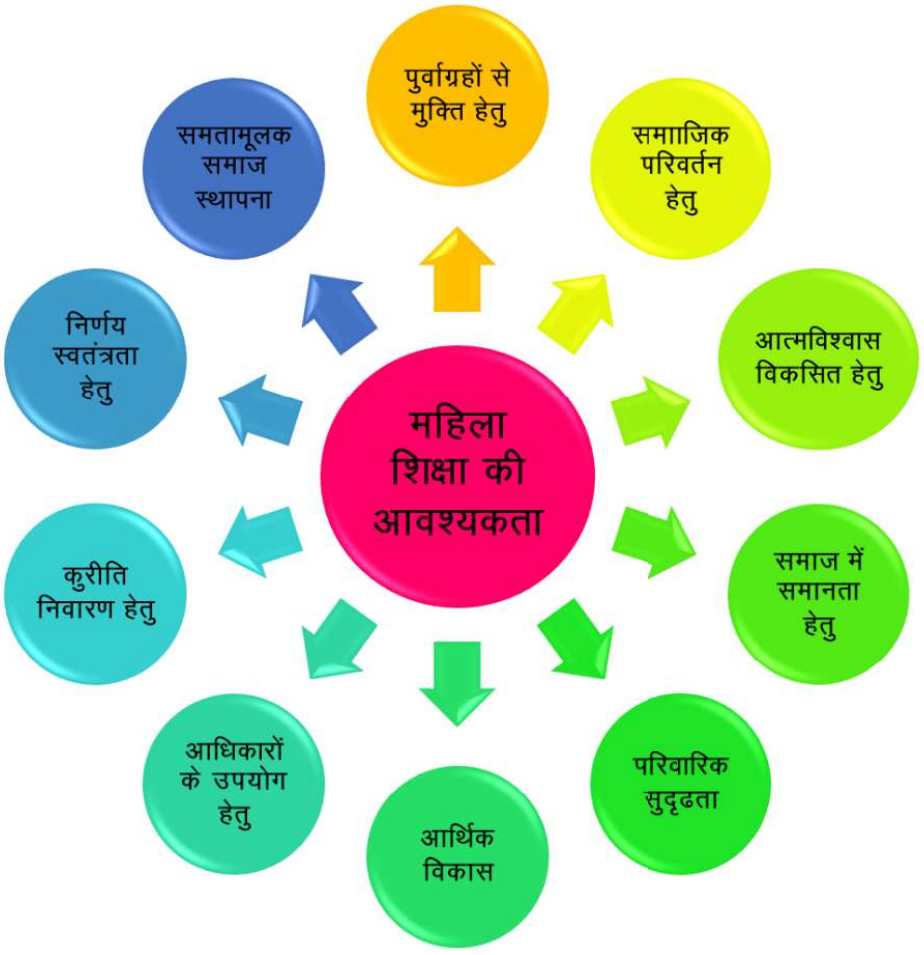


भारत में महिला शिक्षा की आवश्यकता –

महिला शिक्षा का सशक्तिकरण से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यदि महिला शिक्षित है, तो वह आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनकर स्वयं के विकास के साथ ही परिवार के स्तर को भी ऊँचा उठाती है। महिला की शिक्षा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तथा पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि को प्रभावित करती है। शिक्षा ही एक ऐसा तत्व है जो महिला को स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा एवं विकास के अधिकारों के प्रति सचेत कर महिलाओं को समाज के सभी कार्यों में सक्षम बनाती है। शिक्षा उनकी बुद्वि का विकास करती है, जो उनकी प्रगति के प्रति अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही समाज में व्याप्त विसंगतियों से लड़ने का एकमात्र हथियार शिक्षा ही है। महिलाओं पर अत्यधिक घरेलू दायित्व, बाल–विवाह, अधिक शिक्षित होने पर अत्यधिक दहेज, पढ़ने के लिए भेजने पर सुरक्षा आदि कारणों से लड़कियों को पढ़ाने के अभिभावकों को हतोत्साहित करते हैं।

आज भी कई मुस्लिम परिवारों में एवं कई रूढिग्रस्त हिन्दू परिवारों में पर्दा प्रथा एवं कई प्रकार की बन्दिशों के चलते लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती अथवा वे उच्च शिक्षा के स्तर तक नहीं पहुँच पाती। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता में काफी अन्तराल है। यह आँकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं की साक्षरता दर जहाँ 64.46 प्रतिशत है। वहीं पुरुषों की यह दर 82.14 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से अभी कहीं पीछे है। आवश्यकता है उन्हें पुरुषों के समकक्ष अधिकार दिलाने व उन्हें शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने की। सभी कारणों से महिलाओं का शिक्षिति होना

अति आवश्यक माना जाता। वास्तव में महिला का जीवन ऐसी महागाथा है जो युगों से विचारको के बीच विमर्श का केन्द्र रही है। भारत में महिला शिक्षा की आवश्यकता को अग्रलिखित प्रकार से प्रस्तुत सकते हैं–



सम्पूर्ण विश्व में वर्ष (1990) को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाते हुए महिला शिक्षा पर होने वाले व्यय को राष्ट्र विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश माना गया है। स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वातन्त्रयोत्तर काल में शिक्षा के क्षेत्र में **विभिन्न आयोगों का समितियों ने भी महिला शिक्षा की उपादेयता पर समय–समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं–**

हण्टर कमीशन (1882) ने महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है कि मानव संसाधनों के सम्पूर्ण विकास परिवार के सुधार तथा शैशवावस्था के अत्यन्त संवेदनशील वर्षों के दौरान बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

इण्डियन स्टेचुरी कमीशन (1930) ने महिलाओं की शिक्षा एवं सामाजिक प्रगति को देश के विकास के लिए आवश्यक बताया तथा महिला शिक्षा का महत्व बताते हुए इसमें वृद्धि की माँग की गयी।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) के अनुसार ''शिक्षित महिला के बिना कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं हो सकता यदि सामान्य शिक्षा को पुरुष अथवा महिला तक ही सीमित करना हो तो यह अवसर केवल महिलाओं को ही मिलना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा यह शिक्षा स्वयं ही अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी।''

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) महिला शिक्षा को अगले कुछ वर्षों तक वृहद कार्यक्रम बनाकर महिला व पुरुष के बीच मौजूदा अन्तर को कम करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाकर महिलाओं की प्राथमिकता एवं आवश्यकता अनुसार धन व्यय करने का सुझाव दिया। महिलाओं के प्रशिक्षण रोजगार की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की अनुशंसा की गयी है।

दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय **महिला शिक्षा समिति (1959)** में महिला शिक्षा के लिए अनुशंसा करते हुए लिखा है कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह महिला शिक्षा को विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करके एक निश्चित योजना अनुसार निश्चित अवधि में महिला शिक्षा समानता की स्थापना करें। केन्द्र सरकार राज्यों के लिए महिला शिक्षा के विस्तार की नीति निश्चित करके इस नीति के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त धन देना चाहिए।

हंसा मेहता समिति (1962)– के अनुसार ''नए आधार से समाज के निर्माण के लिए महिलाओं को वास्तविक और महत्वपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।''

शिक्षा आयोग 1964 छात्र ने छात्रवृत्ति व मितव्ययी छात्रावासों की व्यवस्था द्वारा बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए प्रोत्साहित करने एवं कला, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मानव शास्त्र पाठ्यक्रमों में से विषय चयन की स्वतंत्रता प्रदान करने तथा गृह विज्ञान, शिक्षा व सामाजिक शास्त्र पाठकों को बढ़ावा देने की बात की गयी है, जिससे महिला शिक्षा का समुचित विकास किया जा सके।

भक्त वत्सलम् समिति (1963)– राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री श्री भक्त वत्सलम् की अध्यक्षता में सन् 1963 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में महिला–शिक्षा के सम्बन्ध में जनता का सहयोग न मिलने के कारणों की जाँच करने का प्रयत्न किया गया। इस समिति की मुख्य सिफारिशे निम्नलिखित है–

- ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाए।
- राज्य सरकार द्वारा बालिका–शिक्षा के पक्ष में लोकमत जागृत करना चाहिए।
- राज्य को सभी क्षेत्रों में सुविधाएँ प्रदान करना चाहिए।
- ग्रामीण की प्रौढ बालिकाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)– सन् 1986 में घोषित राजनीति में महिलाओं की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गई। इस नीति में महिला शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख रूप निम्न बातें सम्मिलित की गई–

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में महिला अध्ययनों को बढ़ावा दिया जाए।
- शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के कार्यक्रमों को संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निराकरण सम्बन्धी प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए।
- विभिन्न स्तरों व्यवसायिक, तकनीकी तथा वृत्तिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाए।
- यौन विभेद न करने की नीति को बढ़ावा दिया जाए।

नई शिक्षा नीति (2020)– में भी सामाजिक सन्दर्भ क्षमता एवं समावेश के लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य सुनिश्चित करना है जिससे कि शिक्षा में सामाजिक,

क्षेत्रीय और लैंगिक भेदभाव समाप्त हो और शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से लैंगिक समानता और बालिका व महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। साथ ही इस बात पर बल दिया गया है कि महिला–पुरुष सामाजिक, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय विषमताओं के मुद्दे की विविधता को कार्य निर्माण और उसके शिक्षण में उचित रूप से समाहित किया जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी सन्निहित कर सामाजिक भेदभाव रोकने के लिए विधिक उपाय करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार–'2040' तक भारत के लिए ऐसी ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होगा, जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उसे समृद्ध किए जाने की भी आवश्यकता है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित महिला शिक्षा के लिए योजनाएँ–

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना 2006
- निःशुल्क बालिका शिक्षा इन्दिरा गाँधी इकलौती छात्रवृत्ति योजना
- बालिका प्रोत्साहन योजना 2004
- साक्षर भारत मिशन 2008
- शिक्षा का अधिकार 2010
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015
- सबला योजना 2011
- निःशुल्क साइकिल वितरण योजना
- सर्व शिक्षा अभियान 2001
- मिड डे मील 1995
- अहिल्याबाई निःशुल्क योजना
- इंदिरा महिला योजना 1995
- बालिका समृद्धि योजना 1997
- राष्ट्रीय महिला कोष 1993
- महिला समृद्धि योजना 1993
- रोजगार तथा आमदनी प्रशिक्षण केन्द्र

महिलाओं तथा लड़कियों की प्रगति के लिए विभिन्न अन्य योजनाएँ भी हैं।

उपसंहार –

समाज पर महिलाओं का प्रभावशाली एवं प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि महिलाओं की शिक्षा से परिवार एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा मानव बुनियाद की आधारशिला है। महिलाओं को शिक्षित करने से उन्हें पोषण ,स्वास्थ्य की देखभाल एवं आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है। शिक्षा से

बेहतर भविष्य, शान्तिपूर्ण वातावरण एवं खुशहाल समाज का निर्माण होता है। जिससे राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहता है। इसलिए महिला शिक्षा का प्रभाव समाज पर सबसे अधिक पड़ता है।

सन्दर्भ सूची –

आमटे, पी. (1996). *भारतीय समाज में नारी,* क्लासिक प्रकाशन हाउस, जयपुर.

कौर, एम. (2019). *भारत में माध्यमिक शिक्षा.* नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया

गुर्जर, आर. एस. (2020). *महिला सशक्तिकरण एवं मानवाधिकार.* राज पब्लिशिंग हाउस.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2020). *नई शिक्षा नीति 2020.* मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, भारत सरकार, नई दिल्ली.

गोयल, एवं सुनीता (2003). *भारतीय समाज में नारी.* आर.बी.एस. प्रकाशन, जयपुर.

चौहान, ए. (2016). *समकालीन भारत एवं शिक्षा.* राजस्थान प्रकाशन, जयपुर.

जैन, पी. एवं शर्मा, एस. (1998). *भारतीय स्त्रीः सांस्कृतिक सन्दर्भ.* रावत प्रकाशन, जयपुर.

दिनेश, एन. डी. (2003). *नए आयामों को तलाशती नारी.* नवचेतन प्रकाशन, नई दिल्ली.

द्विवेदी, आर. (2005). *महिला सशक्तिकरणः चुनौतियाँ एवं राजनीतियाँ.* पूर्वाशा प्रकाशन, भोपाल.

दोगई, एम. (1982). *भारतीय समाज में नारी.* मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली.

पटेल, एस. .सी (2015). *शैक्षिक महिलाएँ एवं पंचायती राज.* राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर.

बहोरा, आर. ए. (2005). *औरत कल और आज.* कल्याणी शिक्षा परिषद, आगरा.

भगवती,स्वामी एवं सविता किशोर (2008). महिला सशक्तिकरण, आर.बी.एस,ए. प्रकाशन, जयपुर.

मौर्य, एस. (2012). *भारतीय समाज में महिला विमर्श एवं यथार्थ.* पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर.

रावत, जी. (2006). *औरतः अस्मिता और यर्थाथ.* कान्ति बुक सेन्टर, दिल्ली.

How to cite reference of this paper-

देवी, पी. एवं त्रिवेदी, एन. (2023). भारत के परिप्रेक्ष्य में महिला शिक्षा : एक अध्ययन. *Educational Metamorphosis 2*(1), 91-99.